

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2013/भाद्र 15, 1935

No. 449]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013/BHADRA 15, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 27 अगस्त, 2013

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(ग्यारहवां संशोधन) विनियमावली, 2013**

सा.का.नि. 596(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (ग्यारहवां संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे 13 फरवरी, 2009 से लागू हुए हैं।

2. विनियम 14 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में विनियम 14 में, उप-विनियम 6 में, खंड (ii) में, उप-खंड (डी) में 'किसी भारतीय कंपनी को आंतरिक उपचर्यों द्वारा डॉउनस्ट्रीम निवेश केवल तभी स्वीकार्य है, जब वह किसी दूसरी भारतीय कंपनी/कंपनियों की पूंजी में निवेश करने में सम्मिलित हो और जब वह ऊपर दिए प्रावधानों तथा नीचे वर्णन के अनुसार हो:' के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

"किसी भारतीय कंपनी को आंतरिक उपचर्यों द्वारा डॉउनस्ट्रीम निवेश केवल तभी स्वीकार्य है, जब वह उपर्युक्त खंड (i) के प्रावधानों तथा नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार हो।"

[सं. फेमा. 284/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: प्रमुख नियमन शासकीय राजपत्र द्वारा जी.एस.आर. संख्या 406(ई) दिनांक 8 मई, 2000 भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया और बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया:

- (क) जी.एस.आर. नं. 158(ई) दिनांक 02.03.2001
- (ख) जी.एस.आर. नं. 175(ई) दिनांक 13.03.2001
- (ग) जी.एस.आर. नं. 182(ई) दिनांक 14.03.2001
- (घ) जी.एस.आर. नं. 4(ई) दिनांक 02.01.2002
- (ङ) जी.एस.आर. नं. 574(ई) दिनांक 19.08.2002
- (च) जी.एस.आर. नं. 223(ई) दिनांक 18.03.2003
- (छ) जी.एस.आर. नं. 225(ई) दिनांक 18.03.2003
- (ज) जी.एस.आर. नं. 558(ई) दिनांक 22.07.2003
- (झ) जी.एस.आर. नं. 835(ई) दिनांक 23.10.2003
- (ञ) जी.एस.आर. नं. 899(ई) दिनांक 22.11.2003
- (ट) जी.एस.आर. नं. 12(ई) दिनांक 07.01.2004
- (ठ) जी.एस.आर. नं. 278(ई) दिनांक 23.04.2004
- (ड) जी.एस.आर. नं. 454(ई) दिनांक 16.07.2004
- (ढ) जी.एस.आर. नं. 625(ई) दिनांक 21.09.2004
- (ण) जी.एस.आर. नं. 799(ई) दिनांक 08.12.2004
- (त) जी.एस.आर. नं. 201(ई) दिनांक 01.04.2005
- (थ) जी.एस.आर. नं. 202(ई) दिनांक 01.04.2005
- (द) जी.एस.आर. नं. 504(ई) दिनांक 25.07.2005
- (ध) जी.एस.आर. नं. 505(ई) दिनांक 25.07.2005
- (न) जी.एस.आर. नं. 513(ई) दिनांक 29.07.2005
- (न) जी.एस.आर. नं. 738(ई) दिनांक 22.12.2005
- (प) जी.एस.आर. नं. 29(ई) दिनांक 19.01.2006
- (फ) जी.एस.आर. नं. 413(ई) दिनांक 11.07.2006

- (ब) जी.एस.आर. नं. 712(ई) दिनांक 14.11.2007
 (भ) जी.एस.आर. नं. 713(ई) दिनांक 14.11.2007
 (म) जी.एस.आर. नं. 737(ई) दिनांक 29.11.2007
 (य) जी.एस.आर. नं. 575(ई) दिनांक 05.08.2008
 (र) जी.एस.आर. नं. 896(ई) दिनांक 30.12.2008
 (र) जी.एस.आर. नं. 851(ई) दिनांक 01.12.2009
 (ल) जी.एस.आर. नं. 341 (ई) दिनांक 21.04.2010
 (ळ) जी.एस.आर. नं. 606(ई) दिनांक 03.08.2012
 (ळ) जी.एस.आर. नं. 795(ई) दिनांक 30.10.2012
 (व) जी.एस.आर. नं. 796(ई) दिनांक 30.10.2012
 (श) जी.एस.आर. नं. 797(ई) दिनांक 30.10.2012
 (ष) जी.एस.आर. नं. 946(ई) दिनांक 31.12.2012
 (स) जी.एस.आर. नं. 344(ई) दिनांक 29.05.2013
 (ह) जी.एस.आर. नं. 38(ई) दिनांक 22.01.2013
 (कक) जी.एस.आर. नं. 515(ई) दिनांक 30.07.2013
 (खख) जी.एस.आर. नं. _____ दिनांक _____
 (गग) जी.एस.आर. नं. 532(ई) दिनांक 05.08.2013
 (घघ) जी.एस.आर. नं. 341(ई) दिनांक 28.05.2013
 (ङङ) जी.एस.आर. नं. 195(ई) दिनांक 01.04.2013
 (चच) जी.एस.आर. नं. 393(ई) दिनांक 21.06.2013
 (छछ) जी.एस.आर. नं. 530(ई) दिनांक 05.08.2013

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th August, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eleventh Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 596(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), (hereinafter referred to as 'the principal Regulations,' namely :—

1. Short Title & Commencement :

- These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Eleventh Amendment) Regulations, 2013.
- They shall be deemed to have come into force from February 13, 2009.

2. Amendment to Regulation 14

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Regulation 14, in sub-regulation 6, in

clause (ii), in sub-clause (d) for the words "Downstream investments through internal accruals are permissible by an Indian company engaged only in activity of investing in the capital of another Indian company/ies, subject to the provisions of sub-paragraph subject to the provisions above and as also elaborated below:", the words "Downstream investments through internal accruals are permissible by an Indian company, subject to the provisions of clause (i) above and as also elaborated below:" shall be substituted.

[No. FEMA. 284/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001

G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001

G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001

G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002

G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002

G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003

G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003

G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003

G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003

G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003

G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004

G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004

G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004

G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004

G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004

G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005

G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005

G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005

G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005

G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005

G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005

G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006

G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006

G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007

G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007

G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007

G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008

G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008

G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009

G.S.R. No. 341(E) dated 21.04.2010

G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012

G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012

G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012

G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013

G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013

G.S.R. No. 515(E) dated 30.07.2013

G.S.R. No. _____ dated _____

G.S.R. No. 532(E) dated 05.08.2013

G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013

G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013

G.S.R. No. 393(E) dated 21.06.2013

G.S.R. No. 530(E) dated 05.08.2013